

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

सं.3/4/आई.डी./2014/एसडीआर-खण्ड-1

दिनांक- 13 नवम्बर 2014,

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
झारखंड,
रांची।

विषय- झारखंड के राज्य विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2014 -मतदाता की पहचान के संबंध में
आयोग का आदेश।

महोदय,

मुझे आयोग के झारखंड के राज्य विधान सभा साधारण निर्वाचन में मतदाता की पहचान के संबंध में दिनांक 13 नवम्बर, 2014 के आदेश को एतद्वारा संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. आयोग ने निदेश दिया है कि सभी निर्वाचक को जिन्हें निर्वाचक फोटो मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किए गए हैं, मतदान केन्द्र पर मत देने से पहले अपनी पहचान के लिए निर्वाचक फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रदर्शित करना पड़ेगा। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रदर्शित करना होगा।

3. जैसा कि आयोग के पत्र सं. 464/INST-VS/2014-EPS दिनांक 21 मार्च, 2014 में पहले ही निदेश दिया जा चुका है कि निर्वाचन दिवस से कुछ दिन पहले सभी निर्वाचकों को प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्चियां बांट दी जाएगी। मतदान दिवस पर, मतदान समय के दौरान, एक अधिकारी (बीएलओ) अवितरित फोटो मतदाता पर्ची के साथ प्रत्येक मतदान स्थल के बाहर इयूटी पर होगा, जिससे कि उन निर्वाचकों को जिन्हें प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची जारी नहीं की गई है मतदान स्थल के बाहर अपनी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची मूल प्रति में प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिकारी, अवितरित फोटो मतदाता पर्ची के साथ मतदान स्थल के बाहर किसी सुस्पष्ट स्थान पर फेसिलिटेशन डेस्क पर बैठा हो। इस जानकारी को प्रदर्शित करने वाले बैनर/पोस्टर स्थानीय भाषा में आसानी से देखे जा सकने वाले किसी स्थान पर लगे होने चाहिए। आयोग के इन आदेशों को मतदान से पहले सभी संचार माध्यमों द्वारा विस्तृत रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए।

4. ईपीआईसी के संबंध में, प्रविष्टियों में मामूली विसंगतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते निर्वाचक

का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रदर्शित करना होगा।

5. प्रवासी निर्वाचकों को अपनी पहचान के लिए केवल अपने मौलिक पासपोर्ट को ही प्रदर्शित करना होगा।

6. आदेश को रिटर्निंग ऑफिसरों तथा सभी पीठासीन अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए। आदेश की स्थानीय भाषा में अनुवादित प्रति प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को प्रदान की जानी चाहिए।

7. आयोग का दिनांक 13 नवम्बर 2014, 2014 का आदेश तत्काल राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए। साधारण जनता एवं निर्वाचकों के सूचनार्थ प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इस आदेश को व्यापक प्रचार किया जाए। उक्त साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को आयोग के इस आदेश के बारे में लिखित रूप में बताया जाए।

8. कृपया नोट किया जाए कि प्ररूप 17क (मतदाता रजिस्टर) के स्तम्भ (3) में पहचान पत्र के अंतिम चार अंकों का उल्लेख किया जाना चाहिए। ईपीआईसी एवं प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने वाले निर्वाचकों के संबंध में, इतना ही पर्याप्त है कि उपयुक्त स्तम्भ में क्रमशः 'ई पी' (ईपीआईसी के लिए) तथा 'वी एस' (फोटो मतदाता पर्ची के लिए) लिखा जाए, तथा यह आवश्यक नहीं है कि ईपीआईसी एवं फोटो मतदाता पर्ची की संख्या लिखी जाए। तथापि, वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर मतदान करने वालों के संबंध में, दस्तावेज के अंतिम चार अंक लिखने का निर्देश जारी रहेगा। उसमें प्रदर्शित दस्तावेज की प्रकृति का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

9. रिटर्निंग ऑफिसरों को निदेश दिए जाने चाहिए कि वे इस आदेश के पहलुओं को नोट कर लें तथा विशेष ब्रीफिंग द्वारा सभी पीठासीन अधिकारियों को इसकी विषयवस्तु का ब्यौरा दें। उनको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पत्र की प्रति निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदान केन्द्रों/ बूथों पर उपस्थित पीठासीन अधिकारियों के पास उपलब्ध रहे।

10. कृपया पावती दें और की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।

भवदीय,



(एन.टी. भूटिया)

अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

सं. 3/4/आई.डी./2014/एसडीआर-खण्ड-1

दिनांक- 13 नवम्बर, 2014

आदेश

1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों को उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंधों को बनाया जा सकता है तथा
2. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 को नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके। निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है, तथा
3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49ज(3) तथा 49ट(2)(ख) में यह निर्दिष्ट है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमस, 1960 के नियम 28 के उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिये जाते हैं, निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है, तथा
4. यतः, उक्त अधिनियम तथा नियमों के पूर्वोक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने पर ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों को एक साथ प्रयोग करना होता है,
5. यतः, निर्वाचन आयोग ने समयबद्ध योजना के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी करने के निर्देश देते हुए दिनांक 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है, तथा

